कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 07.02.2017

0 अनाधिकृत भवनों के नियमितिकरण हेतु विशेष शिविर में दूसरे दिन अच्छा प्रतिसाद मिला, 50 आवेदन जमा, 339 आवेदन जारी, 105524 रू. राजस्व वसूल, नागरिको की नियमितिकरण कराने रूचि में निरंतर वृद्धि 0

0 8 फरवरी को 8 वार्डो में शिविर लगाये जायेंगे 0

0 नागरिक नियमितिकरण करवाने आवश्यक दस्तावेज साथ में संलग्न करें– सभापति 0

रायपुर – आज रायपुर नगर निगम सीमा के तहत अनधिकृत रूप से विकसित भवनों का नियमितिकरण करने दिनांक 1 अगस्त 2016 से लागू छ. ग. अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 (संशोधन 2016) के तहत आवेदन प्राप्त करने जोन 1 के बंजारी माता वार्ड क्रमांक 5 के धनलक्ष्मी नगर, जोन 2 के राजीव गॉधी वार्ड क्रमांक 22 के टिम्बर भवन सेक्टर 2 देवेन्द्र नगर, जोन 3 के शंकरनगर वार्ड क्रमांक 31 के जोन 3 कार्यालय शंकरनगर पानी टंकी परिसर, जोन 4 के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 46 के अमलीडीह पानी टंकी के पास आंगनबाडी भवन, जोन 5 के ठाकुर प्यारे लाल सिंह वार्ड क्रमांक 60 के उमेश पाध्ये शासकीय शाला डंगनिया, जोन 6 के रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड क्रमांक 51 के गॉधी चौक सामुदायिक भवन देवपुरी, जोन 7 के मौलाना अब्दुल रउफ वार्ड क्रमांक 41 के मोतीबाग के बाजू सामुदायिक भवन, जोन 8 के रामकृष्ण परमहंस वार्ड क्रमांक 2 के विकास नगर में लगाया गया। आज दूसरे दिन शिविर स्थल पर पहुंचकर 50 नागरिको ने अनधिकृत भवनों का नियमितिकरण करवाने निगम अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत किये। इसमें 47 आवासीय भवनों, 1 गैर आवासीय भवनों एवं 2 व्यवसायिक सहआवासीय भवनों से संबंधित आवेदन निगम को प्राप्त हुए। शिविर स्थल पर जनसुविधा हेतु उपस्थित निगम के सहायक राजस्व निरीक्षको को 105524 रू. राजस्व की संपत्तिकर व अन्य निगम करों की अदायगी के रूप में नागरिको से दसूरे दिन शिविर में प्राप्त हुई।

आज नगर निगम जोन 5 के ठाकुर प्यारे लाल सिंह वार्ड शिविर का निगम सभापति श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने पहुंचकर निरीक्षण किया । सभापति श्री विश्वकर्मा ने नगर निगम नगर निवेश विभाग की ओर से अनधिकृत विकास के नियमितिकरण शिविर में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत करने का आव्हान नागरिको से किया है। 8 फरवरी को सभी 8 जोनो के 1–1 वार्ड कुल 8 वार्डो में जनसुविधा हेतु नियमितिकरण शिविर लगाये जायेंगे।

सभापति श्री विश्वकर्मा ने जोन 5 शिविर स्थल का निरीक्षण करते हुए नगर निवेश विभाग नगर निगम की ओर से नागरिको से अनुरोध किया कि नगर निगम रायपुर क्षेत्र के नागरिक छत्तीागढ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 संशोधन 2016 के तहत नियमितिकरण करवाने हेतु अपने आवेदन के साथ शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज स्वामित्व संबंधी हक दस्तावेज स्वप्रमाणित रजिस्ट्री, खसरा, नक्शा, बी–1, पी–2, भूमि व्यपवर्तन यदि हो तो, भूमि का विवरण, नजरी नक्शा या लोकेशन प्लान, भवन मानचित्र बिल्डिंग प्लान 5 प्रतियां, निर्मित भवन का फोटोग्राफ्स 4 अलग–अलग दिशाओं से, रैन वाटर हार्वेस्टिंग/ सौर उर्जा संबंधित

जानकारी, पूर्व स्वीकृत भवन हो, तो प्रति एवं मानचित्र, बिजली बिल – गैर आवासीय भवनों के लिए, आर्किटेक्ट / इंजीनियर का घोषणा पत्र, राजस्व विभाग की अनापत्ति, नगर निगम की बकाया के संबंध में अनापत्ति अदेय प्रमाण पत्र, गूगल मानचित्र, रैन वाटर हार्वेस्टिंग का जियो हाईड्रोलाजिस्ट से प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स 150 मीटर से अधिक के भूखण्डों पर लागू, संपत्ति कर की छायाप्रति, एआर का अंडरटेकिंग के आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने का कष्ट करे। सभापति ने निगम अधिकारियों से राज्य शासन के लोककल्याणकारी अधिनियम का अधिकाधिक संख्या में नागरिको को लाभ दिलवाकर अधिक से अधिक संख्या में शिविर में लोगो से आवेदन प्राप्त करना प्रशासनिक तौर पर प्राथमिकता बनाकर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

नगर निगम सभापति श्री विश्वकर्मा ने नगर निगम नगर निवेश विभाग की ओर से नागरिको को जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 8 फरवरी को जोन 1 के वीर शिवाजी वार्ड क्रमांक 7 के शारदा सामुदायिक भवन बालाजी चौक शिवानंद नगर, जोन 2 के रमण मंदिर वार्ड क्रमांक 21 के साई सुतार भवन फाफाडीह, जोन 3 के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 33 के मधुपिल्ले चौक शांति नगर, जोन 4 के ले. अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमांक 45 के संत कंवर राम धर्मशाला कटोरा तालाब रोड, जोन 5 के महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड क्रमांक 61 के सामुदायिक भवन बंधवा पारा, जोन 6 के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 63 के भाठागांव निगम कार्यालय जोन 6 , जोन 7 के स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 57 के माधव राव सप्रे स्कूल, जोन 8 के संत कबीरदास वार्ड क्रमांक 3 सुखराम नगर मंच के पास सामुदायिक भवन गोगांव में नियमितिकरण शिविर लगाये जायेंगे। सभापति ने सभी नागरिको से नियमितिकरण शिविर में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर शासन के लोककल्याणकारी अधिनियम वांछित लाभ उठाना सुनिश्चित करने नगर निगम रायपुर की ओर से किया हैं।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 07.02.2017

0 निगम जोन 3 ने सतनामी पारा तेलीबांधा छोटी रेल लाईन के किनारे बसे 88 झुग्गी परिवारों को बीएसयूपी सरोना वालफोर्ट सिटी आवासीय परिसर के पक्के मकान लॉटरी पद्धति से व्यवस्थापन हेतु आबंटित किये 0

रायपुर– नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री रजत बंसल के निर्देश पर नगर निगम जोन 3 कार्यालय में निगम वित्त विभाग अध्यक्ष श्री अजीत कुकरेजा एवं जोन कमिश्नर श्री महेन्द्रनाथ पाठक की उपस्थिति में जोन 3 नगर निवेश विभाग ने जोन के तहत आने वाले सतनामी पारा तेलीबांधा छोटी रेल लाईन के समीप बसे 88 झुग्गी परिवारों को केन्द्र प्रवर्तित बीएसयूपी योजना के तहत सरोना वालफोर्ट सिटी में स्थित रिक्त पक्के मकानों में लॉटरी पद्धति से नाम व नंबरिंग सहित मकानों का आबंटन व्यवस्थापन के तौर पर करने की कार्यवाही की।

जोन 3 कमिश्नर श्री पाठक ने बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री बंसल के निर्देश पर जोन 3 क्षेत्र में सतनामी पारा तेलीबांधा छोटी रेल लाईन क्षेत्र के किनारे समीप प्रस्तावित एक्सप्रेस वे निर्माण सीमा क्षेत्र में बसे झुग्गी परिवारों को बीएसयूपी योजना के तहत रिक्त पक्के मकानों में मकानों का आबंटन लाटरी पद्धति से व्यवस्थापन के तौर पर किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत 88 उपस्थित झुग्गी परिवारों को जोन 3 कार्यालय में लाटरी पद्धति से नाम व नंबरिंग सहित व्यवस्थापन के तौर पर सरोना वालफोर्ट सिटी आवासीय परिसर के पक्के मकानों में आबंटन देने की कार्यवाही की गई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि फाफाडीह से तेलीबांधा तक नगर निगम क्षेत्र में छोटी रेललाईन के किनारे बसे लगभग 700 झुग्गी परिवारों को नगर निगम द्वारा जोन 2 व जोन 3 के माध्यम से बीएसयूपी के पक्के रिक्त मकानों का आबंटन व्यवस्थापन के तौर पर किया जायेगा। नगर निगम क्षेत्र में फाफाडीह से तेलीबांधा तक शासन के निर्देश पर जनहित में नागरिको को सुगम यातायात देने छोटी रेल लाईन पटरी के स्थान पर रेल्वे प्रशासन के साथ मिलकर एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य सडक विकास निगम के माध्यम से राज्य शासन के निर्देश पर रेल्वे के साथ मिलकर लोकहितार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 07.02.2017

0 रामनगर, सुन्दर नगर, मालवीय रोड, बूढापारा मुख्य मार्गो एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में दिन की दूसरी पाली में विशेष सफाई 0

रायपुर – नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने सफाई मित्रों का विशेष गैंग भेजकर थ्रीडी एवं सफाई वाहनों की सहायता से आज निगम क्षेत्र के रामनगर, सुन्दर नगर, मालवीय रोड, बूढापारा क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक क्षेत्रों एवं मुख्य मार्गो की दिन की दूसरी पाली में सघन विशेष अभियान चलाकर तले तक सफाई करवायी एवं भारी मात्रा में कचरा एकत्रकर उसका परिवहन करवाते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु स्वच्छता कायम करने का कार्य किया।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 07.02.2017

0 नगर निगम रायपुर ने जोन 5 के डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड के 2 बडे बकायादारो को 376337 रू. का बकाया वसूलने अंतिम नोटिस जारी किया, 10 फरवरी तक बकाया अदा न करने पर कुर्की वारंट जारी कर बकाया वसूलने चेतावनी दी 0

रायपुर – आज नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री रजत बंसल के निर्देश पर जोन 5 कमिश्नर श्रीमती कृष्णा खटीक ने जोन 5 राजस्व विभाग की ओर से जोन के डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड क्रमांक 67 में बाजार चौक चंगोराभाठा रायपुर की निवासी श्रीमती धनवंतीन बाई सिरतात एवं इसी वार्ड में ड्रीम इंडिया स्कूल की संचालिका श्रीमती रीता मिश्रा को बकाया की वसूली करने अंतिम नोटिस जारी करते हुए सम्पूर्ण बकाया राशि 10 फरवरी 2017 तक नगर निगम जोन 5 राजस्व विभाग को अदा करने के निर्देश दिये है। अन्यथा की स्थिति में धारा 175 के तहत कुर्की वारंट जारी कर बकाया की वसूली कडाई के साथ करने की चेतावनी संबंधित दोनो बडे बकायेदारो को जोन 5 राजस्व विभाग ने दी है।

नगर निगम जोन 5 राजस्व विभाग ने श्रीमती धनवंतीन बाई सिरतात को वर्ष 2010–11 से 2016–17 तक का 139252 का बकाया 10 फरवरी 2017 तक नगर निगम जोन 5 राजस्व विभाग को अदा करने अंतिम नोटिस जारी किया है। अन्यथा की स्थिति में धारा 175 के अंतर्गत कुर्की वारंट के माध्यम से वसूली करने की चेतावनी दी है। वहीं जोन 5 राजस्व विभाग ने डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड में शिव नगर में ड्रीम इंडिया स्कूल की संचालिक श्रीमती रीता मिश्रा को वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक का बकाया 237085 रू. 10 फरवरी 2017 तक निगम जोन 5 राजस्व विभाग को अदा करने अंतिम नोटिस जारी किया है। अन्यथा की स्थिति में धारा 175 के अंतर्गत कुर्की वारंट के माध्यम से वसूली करने की चेतावनी दी है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 07.02.2017

0 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना – आवेदक पात्रता सूची अवलोकन कर 10 फरवरी तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है 0

रायपुर – मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दुकान आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में पात्र /अपात्र आवेदको की सूची नगर पालिक निगम रायपुर मुख्यालय भवन व्हाईट हाउस के भूतल में निगम बाजार विभाग के कमरा नंबर 104 और रायपुर कलेक्टोरेट परिसर के सूचना फलक में चस्पा कर दी गई है। उक्त जानकारी देते हुए नगर निगम रायपुर के उपायुक्त बाजार श्री आरके डोंगरे ने बताया कि आवेदक दिनांक 10 फरवरी 2017 तक पात्र/ अपात्र आवेदको की सूची का अवलोकन कर नगर निगम रायपुर के मुख्यालय भवन व्हाईट हाउस में बाजार विभाग में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 07.02.2017

0 जयस्तंभ चौक का सौंदर्यीकरण स्मार्ट सिटी योजना के अनुरूप करने नगर निगम जोन 7 के अधिकारियों द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने रात्रिकालीन पर्यवेक्षण निरंतर जारी 0

रायपुर – नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के अनुरूप जनहित में जनसुविधा हेतु राजधानी शहर के ह्दय स्थल जयस्तंभ चौक के चारो कोनो में सौंदर्यीकरण एवं चौडीकरण करने की योजना के तहत रविभवन की ओर के कोने में जारी निर्माण व विकास के कार्य का रात्रिकालीन अवधि में सतत पर्यवेक्षण कार्य नगर निगम जोन 7 के जोन कमिश्नर श्री संतोष पांडे एवं जोन अधिकारियों द्वारा निरंतर जारी है।

उल्लेखनीय है कि महापौर श्री प्रमोद दुबे एवं आयुक्त श्री रजत बंसल ने जोन 7 अधिकारियों को राजधानी के ह्दय स्थल जयस्तंभ चौक में सुगम व सुव्यवस्थित आवागमन प्रबंधन स्मार्ट सिटी योजना के तहत कायम करने जयस्तंभ चौक पर प्रतिदिन होने वाले यातायात जाम की समस्या का स्थायी निदान करने चारो कोनो में उपलब्ध स्थान का पूर्ण सदूपयोग शत प्रतिशत करते हुए चारो कोनो में जयस्तंभ चौक के सौंदर्यीकरण एवं चौडीकरण का कार्य तेजी से चरणबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिये है। महापौर एवं आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम रायपुर द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के तहत जयस्तंभ चौक में सीसी टीवी कैमरा स्थापित करवाया गया है, ताकि यातायात सुगम बने एवं अपराधो पर कारगर नियंत्रण नगर के ह्दय स्थल पर सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से जनहित में जनजीवन सुरक्षा हेतु प्राप्त किया जा सके।

महापौर श्री दुबे एवं आयुक्त श्री बंसल के निर्देश पर स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम जोन 7 लोककर्म विभाग ने जयस्तंभ चौक के सौंदर्यीकरण व चौडीकरण का प्रारंभ रविभवन की ओर के कोने में उपलब्ध ढाई फीट वर्गफीट का चौडीकरण करके किया है। उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण करने जोन 7 कमिश्नर श्री संतोष पांडे एवं जोन सहायक अभियंता श्री रधुमणी प्रधान नियमित रात्रिकालीन अवधि में जयस्तंभ चौक का अवलोकन कर जोन स्तर पर जारी रात्रिकालीन विकास कार्य का सतत पर्यवेक्षण कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने कर रहे है। जोन कमिश्नर ने कार्य को गुणवत्ता युक्त तरीके से रविभवन के कोने की ओर शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिये है। इससे जयस्तंभ चौक का यातायात सुगम व सुव्यवस्थित होने व चौक के चौडे होने से वाहन चालको व राहगीरो को काफी राहत राजधानी के ह्दय स्थल पर प्राप्त हो सकेगी। वहीं सीसी टीवी कैमरे से सतत पर्यवेक्षण से जयस्तंभ चौक कैमरे की सहायता से निश्चित रूप से अपराधो पर कारगर नियंत्रण रायपुर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा लोकहित में प्राप्त किया जा सकेगा।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 07.02.2017

0 गुलाबी गैंग की महिलाएं नशामुक्ति अभियान की तरह रायपुर को स्वच्छ शहर बनाने के कार्य को भी प्रण पूर्वक करके नागरिको को जागरूक बनाने का कार्य करें–महापौर श्री प्रमोद दुबे ने आव्हान किया0

रायपुर – राजधानी शहर के प्रथम नागरिक महापौर श्री प्रमोद दुबे ने राजधानी शहर की महिला पुलिस मित्र गुलाबी गैंग की महिलाओं से नगर निगम रायपुर की ओर से नशा मुक्ति अभियान की तरह स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के तहत रायपुर शहर को ओडीएफ बनाने सफाई के प्रति नागरिको को जागरूक बनाने का कार्य करते हुए रायपुर शहर को देश का स्वच्छ शहर नंबर एक बनाने का आव्हान किया। महापौर श्री दुबे ने नगर निगम राजस्व विभाग अध्यक्ष श्री एजाज ढेबर की उपस्थिति में आकाशवाणी उत्कल नगर बस्ती एवं नेहरू नगर बस्ती में गुलाबी गैंग की महिलाओं की बैठक लेकर स्वच्छता के प्रति प्रण पूर्वक जागृति लोगो में लाने का कार्य करने का संकल्प लेने का आव्हान किया।

महापौर श्री प्रमोद दुबे ने पुलिस मित्र बनकर शहर में पुलिस प्रशासन द्वारा किये जाने वाले अपराध नियंत्रण कार्य में जनजागृति लाकर निरंतर सहभागी बन रही विभिन्न मोहल्लों की गुलाबी गैंग की महिलाओं से अपराध नियंत्रण की ही तरह रायपुर शहर को स्वच्छ व ओडीएफ शहर बनाने खुले शौच की समस्या से राजधानी शहर को मुक्त करने के कार्य में सहभागी बनकर नागरिको के मध्य जनजागरण करने का आव्हान किया है।

महापौर श्री दुबे ने गुलाबी गैंग की महिलाओं को मोहल्लो में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर महिला पुलिस मित्र के रूप में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर समाज हित में कारगर अंकुश लगाने का कार्य निरंतर करने हेतु सराहना की। महापौर ने कहा कि गुलाबी गैंग की महिलाएं नगर निगम के वार्डो में मोहल्लों व बस्तियों में सघन जनजागरण करके लोगो से कचरा कुडे दान में डालने, कचरा सफाई मित्र को सूखा व गीला कचरा अलग–अलग करके कचरा निष्पादन हेतु देने, किसी भी हालत में नाली, नाला, गली, तालाब आदि में कचरा नही डालने लोगो से अपने स्मार्ट फोन पर स्वच्छता एप डाउनलोड करके स्वयं का पंजीयन करवाकर सीधे रायपुर नगर निगम को शहर की स्वच्छता सुधारने सफाई संबंधी शिकायते करने व सुझाव देने का कार्य शहर को स्वच्छ बनाने अधिक से अधिक संख्या में करने कहे। साथ ही नागरिको से 1969 अथवा 1800111969 पर मिस काल करने कहे एवं शहर को नंबर एक स्वच्छ शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में बनाने स्वच्छता संबंधी सवालो के जवाब शहर हित में स्वच्छ नगर बनाने देने को कहे व सफाई के प्रति जागरूक बनाये।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 07.02.2017

0 निगम जोन 7 नगर निवेश विभाग ने मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक के पास अभियान चलाकर 20 अवैध कब्जो को हटाया, सामानो की जप्ती कर 40 दुकानदारों को चेतावनी दी, श्री गणेश मंदिर के पास बूढातालाब मार्ग में दुकानों के सामने सडक पर बनाये गये अवैध पाटे तोडे 0

0 जोन 5 ने डंगनिया सीएसईबी के सामने 3 अवैध दुकाने व 3 ठेले हटाये 0

रायपुर – आज नगर निगम जोन 7 नगर निवेश विभाग ने जनशिकायते मिलते ही जोन कमिश्नर श्री संतोष पांडे के निर्देश पर जोन नगर निवेश उपअभियंता श्री सुशील अहीर, श्री पदमाकर श्रीवास की उपस्थिति में जोन क्षेत्र के मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक आदि मुख्य मार्गो व बाजार क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर मुख्य मार्गो को 20 अवैध कब्जो को हटाकर जनहित में जनसुविधा हेतु मुख्य मार्ग में सुगम व सुव्यवस्थित आवागमन उपलब्ध करवाया एवं प्राप्त जनशिकायतो का त्वरित निदान किया। इस दौरान जोन 7 नगर निवेश विभाग ने सडक पर कब्जा करके रखे गये दुकानदारों के सामानो की जप्ती कर ली साथ ही अभियान में 40 दुकानदारों को किसी भी हालत में सामान दुकान की सीमा के बाहर सडक पर रखकर व्यवसाय नहीं करने की चेतावनी दी अन्यथा की स्थिति में सामानो की जप्ती करने सहित जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई। इसी प्रकार जोन 7 नगर निवेश विभाग ने आज संध्या बूढातालाब मार्ग में श्री गणेश मंदिर तिराहा से सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम तक अभियान चलाकर जनशिकायते सही मिलने पर वहां दुकानदारो द्वारा दुकान के सामने मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जा जमाकर बनाये गये पक्के पाटो को थ्रीडी की सहायता से हटाकर सडक मार्ग अवैध कब्जो से मुक्त बनाने कार्यवाही की गई।

निगम जोन 7 के अभियान चलाये जाने से मुख्य बाजारो व मार्गो में संध्या के समय सडक यातायात सभी के लिए सुगम व सुव्यवस्थित हो गया। व्यापारियों द्वारा बाजार के मुख्य मार्गो पर सामान रखकर कब्जा जमाकर व्यवसाय करने से वहां वाहन चालको सहित राहगीरो को भी आवागमन में असुविधा का सामना पहले करना पड रहा था बाजार मार्गो के अवैध कब्जो से मुक्त होने पर नागरिको एवं वाहन चालको को सुगम आवागमन मिलने से तत्काल राहत मिली ।

इसी क्रम में आज संध्या नगर निगम जोन 5 नगर निवेश विभाग ने जोन क्षेत्र में डीडी नगर वार्ड में सीएसईबी डंगनिया मुख्यालय परिसर के सामने डंगनिया मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जा जमाकर चलायी जा रही अवैध 3 दुकानों एवं 3 अवैध ठेलो को हटाकर डंगनिया मुख्य मार्ग को जनहित में जनसुविधा हेतु सुगम यातायात देने अवैध कब्जो से मुक्त करवाने अभियान चलाकर कार्यवाही की ।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 07.02.2017

0 नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजधानीवासियों को मच्छरों से राहत दिलवाने सघनता से फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा 0

0 मुकुट नगर, गौतम नगर, लाखे नगर, लीली चौक, हटरी पारा, लोहार चौक नया मंदिर रोड क्षेत्र में सघन फॉगिंग अभियान चलाया गया 0

रायपुर – नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री रजत बंसल के निर्देश पर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जोनो के स्वास्थ्य विभाग के सफाई मित्रों की सहायता से राजधानीवासियों को मच्छरों से राहत दिलवाने सघनता के साथ एंटी लार्वा एवं फॉगिंग अभियान तेजी से विभिन्न वार्डो में प्रतिदिन नियमित चलाया जा रहा है। इसके तहत जोन 5 स्वास्थ्य विभाग ने जोन क्षेत्र के मुकुट नगर, गौतम नगर, लाखे नगर, लीली चौक, हटरी पारा, लोहार चौक नया मंदिर रोड क्षेत्र में मच्छर उन्मूलन हेतु फागिंग अभियान बडी फागिंग मशीन से चलाया। आयुक्त श्री रजत बंसल ने स्वास्थ्य अधिकारी सहित सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को नागरिको को मच्छरों से राहत दिलवाने सतत निरंतर मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण कर गुणवत्तायुक्त फॉगिंग एवं एंटी लार्वा अभियान जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्राथमिकता बनाकर निरंतरता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 07.02.2017

0 नगर निगम जोन 1 नगर निवेश विभाग ने मुख्य मार्ग में 50 से अधिक अवैध बैनर पोस्टर हटाये 0

रायपुर – नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री रजत बंसल के निर्देश पर आज नगर निगम जोन 1 नगर निवेश विभाग ने जोन क्षेत्र में धनलक्ष्मी नगर मुख्य मार्ग में चलाये गये सघन अभियान के दौरान विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों द्वारा निगम जोन 1 नगर निवेश विभाग की बिना अनुमति अवैध रूप से विद्युत पोलो एवं मार्ग विभाजको, चौक चौराहो में लगाये गये 50 से अधिक अवैध विज्ञापन बैनर पोस्टर हटाने एवं मुख्य मार्ग धनलक्ष्मी नगर क्षेत्र की सुन्दरता पुनः जनहित में बहाल करने की कार्यवाही की। अभियान सघन रूप से निरंतर सतत पर्यवेक्षण करते हुए जारी रखा जायेगा।